

## भाग -3

### विषय सूची :

द० ।०	fooj.k	i" B ।०
1.	मैनुअल-6 : ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	
2.	मैनुअल-7 : किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	
3.	मैनुअल-8 : ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	
4.	मैनुअल-9 : अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	
5.	मैनुअल-10 : प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	
6.	मैनुअल-11 : सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	
7.	मैनुअल-12 : सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटिक राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	
8.	मैनुअल-13 : अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।	
9.	मैनुअल-14 : किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	
10.	मैनुअल-15 : सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	
11.	मैनुअल-16 : लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	
12.	मैनुअल-17 : ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	

